

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-169/94)/अलेसे-11/2489

दिनांक :- 29.01.2019

**कार्यालय आदेश**

निदेशालय के आदेश संख्या 40/2018-19 दिनांक 22.06.2018 द्वारा श्री विमलेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर का स्थानान्तरण निदेशक, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (प.क.) विभाग, जयपुर में श्री ताराचंद शर्मा के स्थान पर एवं श्री ताराचंद शर्मा का स्थानान्तरण श्री विमलेश कुमार शर्मा के स्थान किया गया था। श्री ताराचंद शर्मा द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में दिनांक 26.06.2018 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड द्वितीय के यहां कार्यग्रहण कर लिया गया था, परन्तु उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री विमलेश कुमार शर्मा द्वारा राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2094/2018 दायर कर अधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2018 द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर के पत्र क्रमांक 3473-474 दिनांक 27.07.2018 के अनुसार श्री विमलेश कुमार शर्मा द्वारा अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2018 की पालना में दिनांक 27.07.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार उक्त एक पद के विरुद्ध उक्त दोनो कार्मिक वर्तमान में पदस्थापित है।

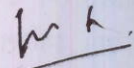
माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा अपील संख्या 2094/2018 विभाग में दिनांक 27.08.2018 को प्राप्त हुई है। अपील में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति निदेशालय के आदेश क्रमांक 1395-99 दिनांक 06.09.2018 द्वारा की जाकर अपील एवं स्थगन आदेश का जवाबदावा दिनांक 24.09.2018 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

अधिकरण में सुनवाई तिथि दिनांक 24.09.2018, 15.10.2018, 26.11.2018 एवं 06.12.2018 को सुनवाई नहीं हो पायी। इसी के मध्य दिनांक 20.09.2018 से मंत्रालयिक संवर्ग की हड़ताल एवं हड़ताल के मध्य राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी लग जाने के कारण स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2018 के बिन्दु संख्या 5 की पालना कि एक पद के विरुद्ध एक से अधिक कार्मिक पदस्थापित नहीं रहे के संबंध में प्रगति नहीं हो सकी।

वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (21) वित्त/ राजस्व/ 90 दिनांक 08.03.2017 के अनुसार कार्मिक को लगातार दो बार प्रतिनियुक्ति पर राजकीय उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों में तथा समान प्रकृति के कार्यालयों जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभाग अथवा निर्माण कार्य से संबंधित विभागों में पदस्थापित नहीं किया जावेगा। ऐसी दो नियुक्तियों के मध्य न्यूनतम चार वर्ष का अन्तराल होना अपेक्षित है। श्री विमलेश कुमार शर्मा निदेशालय के आदेश संख्या 253/2010-11 दिनांक 27.08.2010 के क्रम में कार्यालय अधीक्षण अभियंता (मैटेरियल मैनेजमेंट वृत्त), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दिनांक 31.08.2010 से 15.07.2015 तक कार्यरत थे जिनका स्थानान्तरण निदेशालय के आदेश संख्या 52/2015-16 दिनांक 30.06.2015 एवं

शुद्धि पत्र 9091-9098 दिनांक 14.07.2015 द्वारा अधीक्षण अभियंता (मैटेरियल मैनेजमेंट वृत्त), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर में खण्डीय लेखाकार के पद पर किया गया, जहां श्री शर्मा दिनांक 16.07.2015 से लगातार कार्यरत हैं। इस प्रकार श्री विमलेश कुमार शर्मा निर्माण कार्य से संबंधित विभागों में लगातार 8 वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्यरत होने तथा ऐसी 2 नियुक्तियों के मध्य न्यूनतम 4 वर्ष का अन्तराल नहीं होने के कारण श्री विमलेश कुमार शर्मा का स्थानान्तरण नीति अन्तर्गत प्रशासनिक कारणों से आदेश संख्या 40/2018-19 दिनांक 22.06.2018 द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (प.क.) विभाग, जयपुर में किया गया है। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता से दिनांक 23.01.2019 को राय प्राप्त की गई जिसके अनुसार राजकीय अधिवक्ता ने अपनी राय देते हुए सूचित किया है कि अगर दो कार्मिक उक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित है तो अपीलार्थी श्री विमलेश कुमार शर्मा को माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2018 की अनुपालना में यथावत रखा जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री ताराचंद शर्मा को अपील के अंतिम निर्णय तक अन्यत्र पदस्थापित किया जाना चाहिए।

अतः श्री ताराचंद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को अपील संख्या 2094/2018 के अंतिम निर्णय होने तक एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय में उपस्थिति दें।



(मुकुन्द सोहोनी)

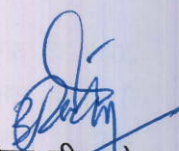
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (वी-169/94)/अलेसे-11/2489

दिनांक :- 29.01.2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (विधि), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वे प्रभारी अधिकारी को अपने स्तर से इस आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-द्वितीय जयपुर।
4. श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. एसीपी (उपनिदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री ताराचंद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड-द्वितीय जयपुर।



(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)